आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Department of Social Security and Women and Child Development

The Punjab Financial Assistance to Acid Victim Scheme, 2017

पंजाब सरकार तेज़ाब हमले में 40 प्रतिशत दिव्यांग हो चुकी महिलाओं को पुनर्वास के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

हर महीने 8,000 रुपये। निदेशालय यह राशि ऑनलाइन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजता है।

किसके लिए है

पंजाब में रहने वाली वे महिलाएँ जो तेज़ाब हमले से 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गई हैं। पीड़िता स्वयं, या उसके माता-पिता, अभिभावक, कानूनी वारिस, परिवार का सदस्य या कोई भी रिश्तेदार आवेदन कर सकता है।

मुख्य शर्तें

- तेज़ाब हमले की पीड़िता पंजाब की निवासी हो।
- यह योजना उस महिला के लिए है जो तेज़ाब हमले के कारण 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गई हो।
- आवेदन के साथ सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र लगाना ज़रूरी है।

दस्तावेज़

- मेडिकल प्रमाणपत्र
- एफआईआर की प्रति
- इनमें से किसी एक की सत्यापित प्रति: मतदाता सूची, मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या निवास प्रमाणपत्र
- बैंक खाते का विवरण

आवेदन कैसे करें

1. पीड़िता, या उसके माता-पिता, अभिभावक, कानूनी वारिस, परिवार का सदस्य या कोई भी रिश्तेदार ज़िले के ज़िला समाज सुरक्षा अधिकारी को आवेदन दे।
2. आवेदन के साथ सिविल सर्जन का मेडिकल प्रमाणपत्र, एफआईआर की प्रति, पहचान या निवास का कोई दस्तावेज़ और बैंक विवरण लगाएँ।
3. इसके बाद निदेशालय राशि ऑनलाइन लाभार्थी के खाते में भेजता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sswcd.punjab.gov.in/en/financial-assistance-to-acid-victims
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-financial-assistance-acid-victims/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।